कानून का मनमाना इस्तेमाल

हाल के वर्षों की बात करें तो भी यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में हमें यह प्रवृत्ति दिखती है तो नरेंद्र मोदी की अगुआई में एनडीए सरकार आने के बाद भी यह न केवल जारी रहती है बल्कि और तेज हो जाती है।

नवीन वर्मा।।

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि बात–बात पर राजद्रोह की संगीन धाराओं में मुकदमा करने की प्रवृत्ति गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज किए गए राजद्रोह के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरेक पत्रकार इस मामले में संरक्षण का हकदार है। कोर्ट ने इस मामले में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार केस में 1962 में दिए अपने फैसले का भी हवाला दिया। उस फैसले में ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राजद्रोह की धाराएं सिर्फ उन्हीं मामलों में लगाई जानी चाहिए, जिनमें हिंसा भड़काने या सार्वजनिक शांति को भंग करने की मंशा हो। इससे यह बात रेखांकित होती है कि शीर्ष अदालत ने आजाद भारत में इस कानून के इस्तेमाल पर कोई रोक भले न लगाई हो, छह दशक पहले ही इसके प्रयोग की सीमाएं पूरी सख्ती से निर्धारित कर दी थीं।

बावजूद इसके, बाद की सरकारों ने इस कानून का मनमाना इस्तेमाल जारी रखा। दिलचस्प बात है कि इस मामले में सरकारें पार्टी लाइन से ऊपर उठी रहीं। हाल के वर्षों की बात करें तो भी यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में हमें यह प्रवृत्ति दिखती है तो नरेंद्र मोदी की अगुआई में एनडीए सरकार आने के बाद भी यह न केवल जारी रहती है बल्कि और तेज हो जाती है। बीते दशक के आंकड़े बताते हैं कि यूपीए सरकार के आखिरी चार वर्षों में यानी 2010 से 2014 के बीच राजद्रोह के 279 मामले दर्ज हुए थे, जबकि एनडीए सरकार के छह वर्षों में यानी 2014 से 2020 के बीच 519 मामले दर्ज हुए। प्रति वर्ष औसत यूपीए काल में 62 था, जो एनडीए काल में 79.8 हो गया। शीर्ष अदालत द्वारा खींची गई मर्यादा रेखा से वाकिफ होते हुए भी अगर पुलिस प्रशासन धड़ल्ले से इस कानून को लागू कर रहा है तो साफ है कि उसके पीछे मंशा अदालत में अपराध साबित करने से ज्यादा आरोपी को परेशान करने की है।

खासकर जो पत्रकार या जागरूक नागरिक, सरकार की कमियों की ओर ध्यान खींचता है उस पर राजद्रोह का मुकदमा उसे जनता की नजरों में देशद्रोही बनाने या दूसरे शब्दों में उसकी विश्वसनीयता कम करने में मदद करता है। वक्त आ गया है, जब इस कानून का दुरुपयोग रोकने के उपायों पर बहस करने के बजाय इस कानून को ही खत्म करने पर विचार किया जाए। तमाम गंभीर अपराधों, यहां तक कि आतंकवाद पर भी अंकुश लगाने के लिए जरूरी कानून देश में मौजूद हैं। औपनिवेशिक दौर में बने इस कानून की आज कोई जरूरत नहीं है।

पाठ करना

अशोक वोहरा।

प्रतिदिन धर्म ग्रंथों का कुछ पाठ करने से देव शक्तियों की कृपा मिलती है। हिन्दू धर्म में वेद, उपनिषद और गीता के पाठ करने की परंपरा प्राचीनकाल से रही है। वक्त बदला तो लोगों ने पुराणों में उल्लेखित कथा की परंपरा शुरू कर दी, जबकि वेदपाठ और गीता पाठ का अधिक महत्व है। इसी तरह सिख धर्म में जपुजी का पाठ किया जाता है। इस्लाम में इसे तिलावत करना कहते हैं।

हिंदू धर्म के पवित्र ग्रन्थों को दो भागों में बांटा गया है– श्रुति और स्मृति। श्रुति अर्थात ईश्वर से सुने हुए। स्मृति अर्थात सुनकर याद करने के बाद कहे गए। स्मृति ग्रन्थों में देश–कालानुसार बदलाव हो सकता है, लेकिन श्रुति में नहीं। श्रुति के अन्तर्गत चार वेद आते हैं– ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्रह्म सूत्र और उपनिषद् वेद का ही हिस्सा हैं।

संपादकीय

गरीब, गुस्सैल मुल्क

पाकिस्तान आज उसी रास्ते पर लड़खड़ाता चला जा रहा है, पहले से ज्यादा गरीब और गुस्सैल। क्या इसका कोई हल है? दुनिया में शायद ही कोई दूसरा देश हो, जिसकी किस्मत इतनी खराब रही हो, जिसे चाहे–अनचाहे महाशक्तियों का मोहरा बनना पड़ा हो और फिर उसकी ऐसी कीमत चुकानी पड़ी हो। 1979 से लेकर 1989 तक पाकिस्तानी आर्मी और सरकार ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन को खड़ा करते हुए खूब डॉलर वसूले। उधर जनरल जिया ने पाकिस्तान को सचमुच इस्लामी देश में बदलने का प्रॉजेक्ट चला रखा था। लेकिन जैसे ही सोवियत टैंकों ने अफगानिस्तान से विदा ली, रौनक उड़ गई। इसी दौरान अमेरिका से नाराजगी पैदा हुई और पाकिस्तान में जिहादी अड्डे पनपने लगे। फिर 9ध्11 के बाद वह वक्त आया जब पाकिस्तान को अपने ही जिहादियों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा, जो कि सबसे दर्दनाक दौर था। 2007 में इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के इमाम भाइयों ने सरकार को अपने खिलाफ गोला–बारूद बरसाने को मजबूर कर दिया। पुराने डिप्लोमैट हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान के लीडरान को तीन सुझाव दिए थे, जिहाद की आइडियॉलजी छोड़िए, भारत से बेमतलब की बराबरी को भूल जाइए और पाकिस्तान को एक लड़ाकू मुल्क की बजाए व्यापारी मुल्क के तौर पर देखिए। लेकिन क्या किस्मत अपना रास्ता बदलेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है उस देश में, जहां जवाब नहीं मिलते।

बरसों बाद वॉल्श को अंदाजा हो सका कि यह सजा उन्हें बलूचिस्तान पर रिपोर्ट छापने के लिए मिली थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान की सबसे दुखती रग है, क्योंकि यही इलाका है जहां से पाकिस्तान के वजूद को सबसे बड़ी चुनौती मिलती है।

इतिहास की भूल

संजय खाती।।

पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है। वह एक भूलभुलैया है, एक पहेली जिसे आज तक पाकिस्तानी खुद भी हल नहीं कर पाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के डेक्लान वॉल्श से एक पाकिस्तानी अफसर ने कहा था, यह कई कमरों वाले एक मकान की तरह है, जिसमें एक कमरे को दूसरे की खबर नहीं होती। खुद वॉल्श को पाकिस्तान उस जापानी बॉक्स वाली पहेली की तरह लगा, जिसके फंदों को एक साथ सुलझाया नहीं जा सकता। वॉल्श ने करीब 10 साल पाकिस्तान में गुजारे– पहले गार्जियन के लिए और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए। लेकिन मई 2013 में अचानक उन्हें फौरन देश छोड़ने का फरमान थमा दिया गया। बरसों बाद वॉल्श को अंदाजा हो सका कि यह सजा उन्हें बलूचिस्तान पर रिपोर्ट छापने के लिए मिली थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान की सबसे दुखती रग है, क्योंकि यही इलाका है जहां से पाकिस्तान के वजूद को सबसे बड़ी चुनौती मिलती है।

दक्षिण एशिया के मुसलमानों के लिए बना यह देश दरअसल पंजाबी, सिंधी, बलूच, पठान, शिया, सुन्नी, मुहाजिर, हाजरा और दूसरे फिरकों में बंट कर रह गया। 1959 में जब अहमदिया लोगों के खिलाफ दंगे हुए तो जस्टिस मुनीर की अगुआई में एक कमिशन बना। इस कमिशन ने

इस्लामी पहचान की पड़ताल की और सवाल उठाया कि अगर अहमदिया मुसलमान नहीं हैं तो मुसलमान कौन है?

पता चला कि यह पहचान तो कई टुकड़ों में बंटी हुई है और एक दूसरे को इसका हक देने के लिए तैयार नहीं। तब जस्टिस मुनीर ने लिखा, इस्लाम की बुनियाद पर सभी नागरिकों के लिए एक राष्ट्र राज्य की स्थापना कैसे हो, इस सवाल पर नेताओं को फौरन विचार करना चाहिए, क्योंकि यह इतना बुनियादी सवाल है कि पाकिस्तान को बना या बिगाड़ सकता है। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला, और नतीजतन एक ऐसा देश तैयार हुआ, जो क्यों और कैसे चलता है, कोई नहीं जानता। अपनी किताब 'नाइन लाइव्स ऑफ पाकिस्तान' में वॉल्श इस पहेली से निराश होने की हद तक उलझते दिखते हैं। यह कहने के बावजूद कि उन्हें पाकिस्तान से प्यार हो गया, यह एक तकलीफ और खीझ से भरी दास्तान है।

इसमें पाकिस्तान एक अंधे कुएं की तरह नजर आता है, जिसकी तकदीर भयानक साजिशों, हत्याकांडों, यातनाओं और पीड़ाओं से भरी है। जगहों और लोगों के जरिए वॉल्श हमें पाकिस्तान के डरावने संसार में ले जाते हैं, जो इतिहास, पहचान और आस्था के चक्रवात में घूम रहा है। क्या यह टिका रहेगा? पाकिस्तान के लोग भी असमंजस में हैं। कुछ हैं, जो भारत, अमेरिका या इजरायल की दखल के साजिशी किस्सों में सुकून खोजने की कोशिश करते हैं। 'यह आहों और पछतावों का देश है, जहां कई लोग इसके वजूद को लेकर अफसोस तक करते हैं'। पाकिस्तान अगर टिका हुआ है तो सिर्फ अंधी आस्था पर।

पाकिस्तान में पहले प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई, एक पूर्व प्रधानमंत्री को मार डाला गया, एक पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी पर लटका दिया गया, एक मिलिट्री शासक का रहस्यमय ऐक्सिडेंट हो गया, तालिबान के गुरु कहे जाने वाले मुल्ला की भी जान ले ली गई, पूर्व प्रधानमंत्रियों को जेल काटनी पड़ी, देश संभाल रहे कई लोगों को विदेश भाग जाना पड़ा। पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं रहा। और इन सब के पीछे रहस्य की गाथाएं बनती गईं।

सूडोकु नवताल-5410

सरल

7	8	6		1		5		2
	9			8				3
1			6	9		7		
	3	8	2		1			
2	7	5				6	3	1
			5		7	2	8	
		9		7	4			6
8				2			5	
4		2		5		9	1	7

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5409 का हल

2	9	5	3	1	4	6	8	7
3	6	1	2	8	7	4	9	5
8	4	7	5	9	6	3	2	1
5	7	4	1	6	2	8	3	9
1	3	6	9	4	8	5	7	2
9	8	2	7	3	5	1	4	6
6	2	8	4	7	1	9	6	3
4	5	3	6	2	9	7	1	8
7	1	9	8	5	3	2	6	4

अपना ब्लॉग

भूल अपनी कीमत वसूले बिना कैसे रहती

मोहन। पाकिस्तान इतिहास की एक भूल थी और वह भूल अपनी कीमत वसूले बिना कैसे रहती। इसलिए इस्लाम के तले भी पाकिस्तान अपनी साझा पहचान नहीं बना पाया। किसी तरह राष्ट्रवाद जगाने के लिए 1965 में उसने एक और भूल की– भारत से जंग और इस के बुरे अंजाम ने हमेशा के लिए उसकी चाल बिगाड़ दी। 1960 में पाकिस्तान की जीडीपी सिंगापुर के बराबर थी, भारत के उलट वह आर्थिक तौर पर खुला हुआ और अमेरिकापरस्त देश था। लेकिन जब शुरुआत ही गलत बुनियाद पर हो तो अनहोनी को कैसे टाला जा सकता था? उसे कश्मीर का बदला लेना ही था, उसे भारत से भिड़कर ईस्ट पाकिस्तान को खोना ही था, वहां जिया उल हक के तौर पर कट्टरपंथ को परवान चढ़ना ही था, उसे अफगानिस्तान के ग्रेट गेम में फंसना ही था, उसे 9/11 के बाद अपने भस्मासुरों के निशाने पर आना ही था। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में अनगिनत ताकतें हैं और सब एक–दूसरे का चक्कर काट रही हैं।